पूर्वी चम्पारण जिला

उत्पाद दुकानों

की

बिक्री अधिसूचना

वर्ष : 2015–2016

फारम-127

"कृपया देखें पाराग्राफ-88"

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष **2015-16** (**1ली अप्रैल 2015** से **31 मार्च,2016** तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती दिनांक-**11.03.2015** को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन **10:00** बजे दिन से (स्थान) **डा० राधाकृष्णन भवन, समाहरणालय परिसर,मोतिहारी** में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बदोबस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोबस्ती निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्त्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोबस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दूकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जायेगी।

4. (क)सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोबस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोबस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03(तीन)खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दूकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गये प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोबस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं हो सके या बंदोबस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह(एकल दुकान के समूह सहित)के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोबस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोबस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्त्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्त्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के बेवसाइट www.excise.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6 (क) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त खुदरा दूकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च,2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोबस्ती की तिथि से 31 मार्च 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्त्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्त्तों पर की जा सकती है। परन्तु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक-31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7 (क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आईडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या एवं ड्राइविंग लाईसेंस में से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटोयुक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोबस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, बशर्त्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा, उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं पोटेंसियल जाने के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानदार निर्धारित आवेदन शुक्ल की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर ''हाई पोटेंसियल जोन'' के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि की निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा-

(क) अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ख) वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग) आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंससोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ-पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है।

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं हैं

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है।

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारवास अवधि का सजायफ्ता नहीं है और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों में बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाईसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाईसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी:

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा।

(ख) शपथ-पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार)

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आईडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित कागजात।

10. कर्त्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है।जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक नि:शुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान-पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगी।

13. (क) यदि कोई दुकान/ दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख)बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दूकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी, जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14. (क)बन्दोबस्ती के तुरंत बाद बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवाँ भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (**Scheduled Nationalised** बैंक का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोबस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। **बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 तक होगी।**

(ख) बंदोबस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीखा का वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वाँ भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस जमा अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के क्रम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या-2 को दूकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोबस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोबस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ-साथ समूह के

अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जप्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहाँ बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहाँ अनुज्ञप्ति फीस शुल्क वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवाँ भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहाँ बंदोबस्ती साल के बीच में होगी वहाँ समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानों सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोबस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा। परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, को कटौती कर वापस की जाएगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16. (क)कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जवाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर आपति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उनके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देंगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अंदर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जानेवाले अपने आवेदन-पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहद्दी में स्थित भूमि-भवन/खाली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगें।

(ख) बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कम्पोजिट शराब की दुकाने शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में विलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्त्तन कर सकती है।

19. (क)बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर

उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्त्तित करना चाहेगा तो उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह को "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्सा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ड.) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/ सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्त्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22. (क)अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्त परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा-

(i) दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि
(ii) अनुज्ञाधारी का नाम
(iii) दुकान के अधिकृत विक्रेता का नाम
(iv) सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक-4085 दिनांक-31.12. 2010 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x 2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उसपर निर्धारित भाषा एव रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आसपास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी प्रकार को इसकी अनुमति देंगे।

(घ) बंदोबस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23 (क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं या समय-समय पर बनाये जायेंगे।

साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जानेवाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदेबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्त्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त्त अनुज्ञप्ति की भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
दिनांक-24.02.2015

समाहर्त्ता
पूर्वी चम्पारण

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक 104 /उ०, मोतिहारी, दिनांक 24.02.2015

प्रतिलिपि-आयुक्त उत्पाद,बिहार,पटना/संयुक्त आयुक्त उत्पाद,बिहार,पटना/आयुक्त उत्पाद के सचिव,बिहार, पटना/सभी उपायुक्त उत्पाद आसवनगृह एवं भंडारगार सहित/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद /सभी अधीक्षक उत्पाद/पुलिस अधीक्षक,मोतिहारी,पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पदाधिकारी,पूर्वी चम्पारण तथा सभी अंचलाधिकारी,पूर्वी चम्पारण/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,पूर्वी चम्पारण/सभी कार्यपालक अभियंता, पूर्वी चम्पारण/अध्यक्ष जिला परिषद्,पूर्वी चम्पारण/ अध्यक्ष,नगद परिषद्,मोतिहारी/रक्सौल/सभी अध्यक्ष,नगर पंचायत/सभी प्रखण्ड प्रमुख,पूर्वी चम्पारण/सहायक आयुक्त वाणिज्य-कर,मोतिहारी/रक्सौल,सभी निरीक्षक उत्पाद,पूर्वी चम्पारण, सभी अवर निरीक्षक उत्पाद,पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित। दुकानों की बंदोबस्ती समूहवार सूची के अनुसार की जायेगी। इसकी एक प्रति समाहरणालय,मोतिहारी के सूचनापट्ट तथा एक प्रति अधीक्षक उत्पाद,मोतिहारी,पूर्वी चम्पारण के कार्यालय सूचनापट्ट पर आम जानकारी के लिए चिपका दी जाए।

बंदोबस्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति से 3.00 रू0 कोर्ट फी स्टाम्प के साथ प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क नगद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो अधीक्षक उत्पाद,पूर्वी चम्पारण के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मोतिहारी में भुगतेय हो तथा हाल के अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो एवं अन्य वांछित कागजातों के साथ दिनांक-**05.03.2015** तक कार्यालय अवधि में अधीक्षक उत्पाद,पूर्वी चम्पारण के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, पूर्वी चम्पारण के कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता हैं

24/02/15
अधीक्षक उत्पाद,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

समाहर्त्ता
पूर्वी चम्पारण।

जिला–पूर्वी चम्पारण

वर्ष 2015–16 के लिए समूहवार उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सूची

समूह सं0	दुकान के प्रकार एवं संख्या	दुकानों के नाम एवं अवस्थिति	मदिरा का निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा				मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपया में)	आवेदन शुल्क (रुपया में)
			दे0श0 एल.पी.एल	म0दे0श0 एल.पी.एल	वि0श0 एल.पी.एल	बीयर बी.एल.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विदेशी–1 देशी –1 कम्पोजिट–2 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1 मोतिहारी (न0 प0)–1 2. मोतिहारी (न0 प0)–1 3. क. कटहाँ बाजार ख. रमगढवा	3520.0 1540.0	480.0 210.0	1650.0 750.0	4500.0 1000.0	932500.00	10000.00
2	विदेशी–2 देशी –2 कम्पोजिट–3 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–2 2. मोतिहारी (न0 प0)–2 3. क. रूलही बाजार ख. चन्दरहिया	3520.0 1760.0	480.0 240.0	1650.0 800.0	4500.0 1000.0	962500.00	10000.00
3	विदेशी–3 देशी –3 कम्पोजिट–4 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–03 2. मोतिहारी (न0 प0)–03 3. क. सिरसा माल ख. सिरसा	3520.0 1760.0	480.0 240.0	1650.0 800.0	4500.0 1000.0	962500.00	10000.00
4	विदेशी–4 देशी –4 कम्पोजिट–5 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–4 2. मोतिहारी (न0 प0)–4 3. क. रामसिंह छतौनी (भरवलिया) ख. टिकुलिया ग. बासमन	3520.0 1760.0	480.0 240.0	1650.0 800.0	4500.0 1000.0	962500.00	10000.00

5	विदेशी–5 देशी –5 कम्पोजिट–6 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–5 2. मोतिहारी (न0 प0)–5 3. क. ढेकहाँ उत्तरी ख. ढेकहाँ पश्चिमी	3520.0 1760.0	480.0 240.0	1650.0 800.0	4500.0 1000.0	962500.00	10000.00
6	विदेशी–6 देशी –6 कम्पोजिट–8 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–6 2. मोतिहारी (न0 प0)–6 3. क. गोढवा ख. पतौरा	3520.0 1760.0	480.0 240.0	1650.0 800.0	4500.0 1000.0	962500.00	10000.00
7	विदेशी–7 देशी –7 कम्पोजिट–9 (बंजरिया प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–7 2. मोतिहारी (न0 प0)–7 3. क. सिसवा पूर्वी ख. सिसवा पश्चिमी ग. अजगरवा घ. चैलाहाँ	3520.0 1540.0	480.0 210.0	1650.0 750.0	4500.0 1000.0	932500.00	10000.00
8	विदेशी–8 देशी –8 कम्पोजिट–10 (बंजरियां प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–8 2. मोतिहारी (न0 प0)–8 3. क. फुलवार उत्तरी ख. जनेरवा ग. मखलिसपुर घ. सेमरा	3520.0 1540.0	480.0 210.0	1650.0 750.0	4500.0 1000.0	932500.00	10000.00
9	विदेशी–9 देशी –9 कम्पोजिट–21 (तुरकौलिया प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–9 2. मोतिहारी (न0 प0)–9 3 क. सपही ख. बेलवा टोला नरियरवा ग. बिजुलपुर	3520.0 1540.0	480.0 210.0	1650.0 750.0	4500.0 1000.0	932500.00	10000.00

10	विदेशी–10 देशी –10 कम्पोजिट–80 (छौड़ादानो प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–10 2. मोतिहारी (न0 प0)–10 3. क. नरकटिया ख. गम्हरिया	3520.0 1540.0	480.0 210.0	1650.0 750.0	4500.0 1000.0	932500.00	10000.00
11	विदेशी–11 देशी –11 कम्पोजिट–19 (तुरकौलिया प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–11 2. मोतिहारी (न0 प0)–11 3. क. शंकर सरैया उत्तरी ख. शंकर सरैया दक्षिणी	3520.0 1760.0	480.0 240.0	1650.0 800.0	4500.0 1000.0	962500.00	10000.00
12	विदेशी–12 देशी –12 कम्पोजिट–47 (चिरैया प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–12 2. मोतिहारी (न0 प0)–12 3. क. माधोपुर ख. महुआवा पूर्वी ग. महुआवा पश्चिमी घ. खडतरी पश्चिमी (लालबेगिया)	3520.0 1056.0	480.0 144.0	1650.0 550.0	4500.0 750.0	850500.00	10000.00
13	विदेशी–13 देशी –13 कम्पोजिट–52 (घोडासहन प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–13 2. मोतिहारी (न0 प0)–13 3. क. गुरमिया ख. विजई ग. बगही भेलवा(भेलवा)	3520.0 1540.0	480.0 210.0	1650.0 750.0	4500.0 1000.0	932500.00	10000.00
14	विदेशी–14 देशी –14 कम्पोजिट–51 (घोडासहन प्रखंड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–14 2. मोतिहारी (न0 प0)–14 3. क. विशुनपुर ख. झरोखर (जमुनिया)	3520.0 1056.0	480.0 144.0	1650.0 550.0	4500.0 750.0	850500.00	10000.00

15	विदेशी–15 कम्पोजिट–22 (तुरकौलिया प्रखण्ड) कम्पोजिट–35 (हरसिद्धि प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–15 2. क. जयसिंहपुर उत्तरी ख. जयसिंहपुर दक्षिणी ग. जयसिंहपुर पूर्वी (खीरवा बाजार) 3. क. गायघाट ख. मानीकपुर ग. हरपुरराय	1540.0 1760.0	210.0 240.0	1650.0 750.0 800.0	4500.0 1000.0 1000.0	882500.00	8000.00
16	विदेशी–16 कम्पोजिट–17 (चकिया प्रखण्ड) कम्पोजिट–18 (चकिया प्रखण्ड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–16 2. क. विशुनपुरा ख. हरदिया बाद ग. सागर (पिपरा) 3. क. मधुबन बेदिबन ख. चिन्तामनपुर ग. जमुनिया	1760.0 1760.0	240.0 240.0	1650.0 800.0 800.0	4500.0 1000.0 1000.0	912500.00	8000.00
17	विदेशी–17 कम्पोजिट–94 (केसरिया प्रखंड) कम्पोजिट–95 (केसरिया प्रखंड)	1. मोतिहारी (न0 प0)–17 2. क. हुसेनी उत्तरी (हुसेनी) ख. हुसेनी दक्षिणी 3. क. सरोतर पूर्वी (सरोतर) ख. सरोतर पश्चिमी	1760.0 1760.0	240.0 240.0	1650.0 800.0 800.0	4500.0 1000.0 1000.0	912500.00	8000.00
18	देशी–15 देशी–16 देशी–17	1. रक्सौल (न0 प0)–01 2. रक्सौल (न0 प0)–02 3. रक्सौल (न0 प0)–03	2816.0 2816.0 2816.0	384.0 384.0 384.0			864000.00	12000.00

19	विदेशी–18 विदेशी–19 विदेशी–20	1. रक्सौल (न0 प0)–01 2. रक्सौल (न0 प0)–02 3. रक्सौल (न0 प0)–03			1800.0 1800.0 1800.0	4500.0 4500.0 4500.0	945000.00	12000.00
20	देशी–18 देशी–19 देशी–20	1. चकिया(न0 पं0)–01 2. चकिया(न0 पं0)–02 3. चकिया(न0 पं0)–03	3520.0 3520.0 3520.0	480.0 480.0 480.0			1080000.00	9000.00
21	विदेशी–21 विदेशी–22 विदेशी–23	1. चकिया(न0 पं0)–01 2. चकिया(न0 पं0)–02 3. चकिया(न0 पं0)–03			1600.0 1600.0 1600.0	4000.0 4000.0 4000.0	840000.00	9000.00
22	देशी–21 देशी–22 कम्पोजिट–69 (सुगौली प्रखण्ड)	1. सुगौली (न0 पं0)–01 2. सुगौली (न0 पं0)–02 3. क. बगही ख. करमवा रघुनाथपुर (नयका बाजार) घ. मनसिंघा उत्तरी	2200.0 2200.0 1056.0	300.0 300.0 144.0	550.0	750.0	648000.00	8000.00
23	विदेशी–24 विदेशी–25 कम्पोजिट–71 (सुगौली प्रखण्ड)	1. सुगौली (न0 पं0)–01 2. सुगौली (न0 पं0)–02 3. क. भरगॉवा ख. छपरा बहास उत्तरी ग. छपरा बहास दक्षिणी घ. मनसिंघा दक्षिणी	1056.0	144.0	1000.0 1000.0 550.0	3000.0 3000.0 750.0	558000.00	8000.00
24	विदेशी–26 विदेशी–27 विदेशी–28	1. ढाका (न0 पं0)–01 2. ढाका (न0 पं0)–02 3. ढाका (न0 पं0)–03			1200.0 1200.0 1200.0	3000.0 3000.0 3000.0	630000.00	9000.00

25	देशी–23 देशी–24 देशी–25	1. ढाका (न0 पं0)–01 2. ढाका (न0 पं0)–02 3. ढाका (न0 पं0)–03	2464.0 2464.0 2464.0	336.0 336.0 336.0			756000.00	9000.00
26	देशी–26 देशी–27 देशी–28	1. अरेराज (न0 पं0)–01 2. अरेराज (न0 पं0)–02 3. अरेराज (न0 पं0)–03	2200.0 2200.0 2200.0	300.0 300.0 300.0			675000.00	9000.00
27	विदेशी–29 विदेशी–30 विदेशी–31	1. अरेराज (न0 पं0)–01 2. अरेराज (न0 पं0)–02 3. अरेराज (न0 पं0)–03			1100.0 1100.0 1100.0	3000.0 3000.0 3000.0	585000.00	9000.00
28	देशी–29 देशी–30 कम्पोजिट–101 (कल्याणपुर प्रखण्ड)	1. केशरिया (न0 पं0)–01 2. केशरिया (न0 पं0)–02 3. क. सुंदरपुर पूर्वी (डिलिया बाजार) ख. सुंदरपुर पश्चिमी ग. बथना–मठिया	2464.0 2464.0 1540.0	336.0 336.0 210.0	750.0	1000.0	784000.00	8000.00
29	विदेशी–32 कम्पोजिट–93 (केशरिया प्रखंड) कम्पोजिट–97 (केशरिया प्रखंड)	1. केशरिया (न0 पं0) 2. क. खिजिरपुरा बेनीपुर (पनसलवा चौक) ख. गोछी कुशहर ग. लोहरगॉवा 3. क. कढ़ान ख. बैरिया ग. ताजपुर पटखौलियां घ. ढेकहॉ	1540.0 1540.0	210.0 210.0	1800.0 750.0 750.0	3000.0 1000.0 1000.0	860000.00	7000.00

30	देशी–31 देशी–32 कम्पोजिट–91 (मेहसी प्रखण्ड)	1. मेहसी (न0 पं0)–01 2. मेहसी (न0 पं0)–02 3. क. कटहाँ ख. भीमलपुर ग. कोठिया हरेराम	2640.0 2640.0 1056.0	360.0 360.0 144.0	550.0	750.0	738000.00	8000.00
31	विदेशी–33 विदेशी–34	1. मेहसी (न0 पं0)–01 2. मेहसी (न0 पं0)–02			1400.0 1400.0	3000.0 3000.0	480000.00	6000.00
32	देशी–33 देशी–34 कम्पोजिट–57 (पकड़ीदयाल प्रखण्ड)	1. पकडीदयाल (न0पं0–01) 2. पकडीदयाल (न0पं0–02) 3. क. सिरहाँ (सिरसा) ख. सुंदरपट्टी	2640.0 2640.0 1056.0	360.0 360.0 144.0	550.0	750.0	738000.00	8000.00
33	विदेशी–35 विदेशी –36 कम्पोजिट–60 (पकड़ीदयाल प्रखण्ड)	1. पकडीदयाल (न0पं0–01) 2. पकडीदयाल (न0पं0–02) 3. क. राजेपुर नवादा (शेखपुरवा)	1760.0	240.0	1200.0 1200.0 800.0	2500.0 2500.0 1000.0	720000.00	8000.00
34	देशी–35 कम्पोजिट–111 (कोटवा प्रखण्ड) कम्पोजिट–112 (कोटवा प्रखण्ड)	1. कोटवा(प्र0मु0) 2. क. मच्छरगावां ख.बड़हरवा कला(पश्चिमी) 3. क. कररिया ख. बड़हरवा कला (पूर्वी)	2816.0 1760.0 1760.0	384.0 240.0 240.0	800.0 800.0	1000.0 1000.0	908000.00	7000.00
35	विदेशी–37 कम्पोजिट–75 (आदापुर प्रखण्ड) कम्पोजिट–113 (कोटवा प्रखण्ड)	1. कोटवा(प्र0मु0) 2. क. नकरदेई हरपुर ख. भवानीपुर ग. लक्ष्मीपुर पोखरिया 3 क. अहिरौलिया ख. पोखरा	1056.0 1540.0	144.0 210.0	1500.0 550.0 750.0	3000.0 750.0 1000.0	733000.00	7000.00

36	विदेशी–38 देशी–36 कम्पोजिट–13 (पिपराकोठी प्रखण्ड)	1. पिपराकोठी(प्र0मु0) 2. पिपराकोठी(प्र0मु0) 3. क. सूर्यपुर ख. वीरछपरा	2464.0 1540.0	336.0 210.0	1400.0 750.0	3000.0 1000.0	772000.00	8000.00
37	विदेशी–39 देशी–37 कम्पोजिट–20 (तुरकौलिया प्रखण्ड)	1. तुरकौलिया (प्र0मु0) 2. तुरकौलिया (प्र0मु0) 3. क. माधोपुर मधुमालत (कमिटी बजार) ख. हरदिया	2640.0 1760.0	360.0 240.0	1600.0 800.0	4000.0 1000.0	860000.00	8000.00
38	विदेशी–40 देशी–38 कम्पोजिट–76 (आदापुर प्रखण्ड)	1. आदापुर(प्र0मु0) 2. आदापुर(प्र0मु0) 3. क. बरवा ख. सिरसिया कला ग. भेरिहारी	1354.0 1056.0	184.0 144.0	640.0 550.0	1408.0 750.0	446500.00	8000.00
39	विदेशी–41 देशी–39 कम्पोजिट–72 (रामगढवा प्रखण्ड)	1. रामगढवा(प्र0 मु0) 2. रामगढवा(प्र0 मु0) 3. क. जैतापुर ख. पखनहिया ग. अधकपरिया घ. अहिरौलिया	2288.0 1540.0	312.0 210.0	1400.0 750.0	3000.0 1000.0	754000.00	8000.00
40	विदेशी–42 देशी–40 कम्पोजिट–79 (छौडादानौ प्रखण्ड)	1. छौडादानौ(प्र0 मु0) 2. छौडादानौ(प्र0 मु0) 3. क. तिनकोनी ख. पुरैनी ग. दरपा (मटर चौक)	1408.0 1056.0	192.0 144.0	1000.0 550.0	2500.0 750.0	517000.00	8000.00

41	विदेशी–43 देशी–41 कम्पोजिट–78 (आदापुर प्रखण्ड)	1. हरसिद्धि(प्र0मु0) 2. हरसिद्धि(प्र0मु0) 3. क. औरैया ख. कौरैया ग. बखरी घ. मूर्तिया	2816.0 1056.0	384.0 144.0	1600.0 550.0	4000.0 750.0	766000.00	8000.00
42	विदेशी–44 देशी–42 कम्पोजिट–33 (हरसिद्धि प्रखंड)	1. पहाडपुर(प्र0मु0) 2. पहाडपुर(प्र0मु0) 3. क. कृतपुर ख. कमाल पिपरा ग. नौआडीह	2640.0 1540.0	360.0 210.0	1200.0 750.0	2500.0 1000.0	755000.00	8000.00
43	देशी–43 देशी–44 कम्पोजिट–37 (संग्रामपुर प्रखंड)	1. संग्रामपुर(प्र0मु0) 2. संग्रामपुर(प्र0मु0) 3. क. बरियरिया उत्तरी ख. बरियरिया दक्षिणी ग. मधुबनी दक्षिणी	1936.0 1936.0 1540.0	264.0 264.0 210.0	750.0	1000.0	676000.00	8000.00
44	विदेशी–45 कम्पोजिट–38 (संग्रामपुर प्रखंड)	1. संग्रामपुर(प्र0 मु0) 2. क. मधुबनी पूर्वी ख. मधुबनी पश्चिमी (मधुबनी बाजार) ग. मधुबनी उत्तरी	1540.0	210.0	1200.0 750.0	3000.0 1000.0	490000.00	5000.00

45	विदेशी–46 देशी–45 कम्पोजिट–53 (बनकटवा प्रखण्ड)	1. घोड़ासहन (प्र0 मु0) 2. घोड़ासहन (प्र0 मु0) 3. क. बिजबनी उतरी ख. बिजबनी पूर्वी ग. बिजबनी दक्षिणी (जयमूर्ति नगर) घ. गोला पकड़िया	2640.0 1540.0	360.0 210.0	2000.0 750.0	4500.0 1000.0	895000.00	8000.00
46	विदेशी–47 देशी –46 कम्पोजिट–48 (चिरैया प्रखण्ड)	1. चिरैया (प्र0 मु0) 2. चिरैया (प्र0 मु0) 3. क. राघोपुर ख. बारा जयराम ग. मीरपुर घ. मधुबनी	1936.0 1056.0	264.0 144.0	1200.0 550.0	2500.0 750.0	601000.00	8000.00
47	विदेशी–53 देशी–47 कम्पोज़िट–42 (ढाका प्रखण्ड)	1. बनकटवा (प्र0 मु0) 2. बनकटवा (प्र0 मु0) 3. क. खड्डुआ चैनपुर (कुण्डवा चैनपुर) ख. जटवलिया ग. तेलहारा कला	1320.0 1540.0	180.0 210.0	600.0 750.0	1500.0 1000.0	520000.00	8000.00
48	देशी–48 देशी–49 कम्पोजिट–86 (मधुबन प्रखण्ड)	1.मधुबन(प्र0 मु0)न0–01 2.मधुबन(प्र0 मु0)न0–02 3. क. वाजिदपुर ख. कृष्णनगरा ग. कोरैया	1936.0 1936.0 1540.0	264.0 264.0 210.0	 750.0	 1000.0	676000.00	8000.00

49	विदेशी–48 कम्पोजिट–85 (मधुबन प्रखण्ड) कम्पोजिट–87 (मधुबन प्रखण्ड)	1. मधुबन(प्र0 मु0) 2. क. तालिमपुर ख. रूपनी 3. क. गरहिया ख. कोयलहारा ग. सवंगिया	1540.0 1056.0	210.0 144.0	1600.0 750.0 550.0	4000.0 1000.0 750.0	758000.00	7000.00
50	देशी –50 कम्पोजिट–61 (फेनहारा प्रखण्ड)	1. फेनहारा (प्र0 मु0) 2. क. खानपिपरा मधुरापुर ख. बारा परसौनी ग. रूपौलिया	2640.0 1540.0	360.0 210.0	750.0	1000.0	550000.00	5000.00
51	विदेशी–49 कम्पोजिट–62 (फेनहारा प्रखण्ड)	1. फेनहारा (प्र0 मु0) 2. क. मधुबनी ख. मनकरवा	1540.0	210.0	800.0 750.0	2500.0 1000.0	425000.00	5000.00
52	विदेशी –50 कम्पोजिट–63 (पताही प्रखण्ड) कम्पोजिट–56 (पकड़ीदयाल प्रखण्ड)	1. पताही (प्र0 मु0) 2 क. परसौनी कपूर ख. बोकाने कला ग. बाराशंकर घ. नोनफरवा 3 क. धनौजी (हरनाथपुर/हरनाथा)	1540.0 1540.0	210.0 210.0	1000.0 750.0 750.0	2500.0 1000.0 1000.0	735000.00	7000.00

53	देशी –51 कम्पोजिट–64 (पताही प्रखण्ड) कम्पोजिट–77 (आदापुर प्रखण्ड)	1. पताही (प्र0 मु0) 2. क. पदुमकेर, देवापुर ख. जिहुली उत्तरी ग. बखरी (बखरी बाजार) 3. क. मझरिया ख. दुबहाँ ग. अंधरा	2464.0 1540.0 1056.0	336.0 210.0 144.0	750.0 550.0	1000.0 750.0	730000.00	7000.00
54	विदेशी–51 देशी –52 कम्पोजिट–88 (तेतरिया प्रखण्ड)	1. तेतरिया (प्र0 मु0) 2. तेतरिया (प्र0 मु0) 3. क. सेमराहा ख. कोठिया ग. पुनास लहलादपुर	1936.0 1056.0	264.0 144.0	800.0 550.0	2000.0 750.0	536000.00	8000.00
55	देशी –53 देशी–54 कम्पोजिट–107 (कल्याणपुर प्रखण्ड)	1. कल्याणपुर(प्र0 मु0) 2. कल्याणपुर(प्र0 मु0) 3. क. कोयला बेलवा ख. पिपरा खेम	2200.0 2200.0 1056.0	300.0 300.0 144.0	550.0	750.0	648000.00	8000.00
56	विदेशी–52 कम्पोजिट–105 (कल्याणपुर प्रखण्ड) कम्पोजिट–108 (कल्याणपुर प्रखण्ड)	1. कल्याणपुर(प्र0 मु0) 2. क. शितलपुर (शीतलपुर चौक) ख. मनीछपरा 3. क. वृन्दावन ख. सिसवा सोव ग. पकड़ी दिक्षीत (वृन्दावन बली बेलवा)	1540.0 1540.0	210.0 210.0	1200.0 750.0 750.0	2500.0 1000.0 1000.0	765000.00	7000.00

57	कम्पोजिट–103 (कल्याणपुर प्रखण्ड) कम्पोजिट–14 (चकिया प्रखण्ड)	1. क. परसौनी वाजिद (सेमरा बाजार) 2. क. हरपुर ख. कुअॅरपुर (मठबनवारी)	1540.0 1540.0	210.0 210.0	750.0 750.0	1000.0 1000.0	560000.00	4000.00
58	विदेशी–55 देशी–55 कम्पोजिट–70 (सुगौली प्रखण्ड)	1. फुलवरिया(छपवा) 2. फुलवरिया(छपवा) 3 .क. श्रीपुर उतरी ख. श्रीपुर दक्षिणी ग. भटहां	2464.0 1540.0	336.0 210.0	1200.0 750.0	2500.0 1000.0	737000.00	8000.00
59	देशी –56 कम्पोजिट–44 (ढाका प्रखण्ड) कम्पोजिट–46 (ढाका प्रखण्ड)	1. पचपकड़ी 2. क. चन्दनबारा ख. पकड़ी (कुसमहवा) ग. करमावा घ. मलकौनिया 3. क. दलपत विशुनपुर ख. झिटकाही ग. भण्डार(भण्डार चौक) घ. भगवानपुर	2464.0 1540.0 1056.0	336.0 210.0 144.0	750.0 550.0	1000.0 750.0	730000.00	7000.00
60	विदेशी –54 कम्पोजिट–43 (ढाका प्रखण्ड) कम्पोजिट–45 (ढाका प्रखण्ड)	1. पचपकड़ी 2. क. गुरहनवा ख. बलुआ गुआबारी ग. फुलवरिया घ. बड़हरवा फतेमहम्मद 3. क. बड़हरवा सिमन ख. बड़हरवा लखनसेन	1540.0 1056.0	210.0 144.0	1200.0 750.0 550.0	2500.0 1000.0 750.0	683000.00	7000.00

61	कम्पोजिट–11 (पिपराकोठी प्रखण्ड) कम्पोजिट–12 (पिपराकोठी प्रखण्ड)	1. क. सलेमपुर(जीवधारा) ख. टिकौता गोविंदापुर 2. क. पंडितपुर ख. मथुरापुर	1760.0 1540.0	240.0 210.0	800.0 750.0	1000.0 1000.0	590000.00	4000.00
62	कम्पोजिट–49 (चिरैया प्रखण्ड) कम्पोजिट–50 (चिरैया प्रखण्ड) कम्पोजिट–55 (पकड़ीदयाल प्रखण्ड)	1. क. हरनारायना ख. सेमरा ग. हराज नुरूल्लाहप 2 क. कपूर पकड़ी ख. सिरौना 3. क. बड़का गाँव ख. सिसहनी	1760.0 1540.00 1056.00	240.0 210.0 144.0	800.0 750.0 550.0	1000.0 1000.0 750.0	788000.00	6000.00
63	कम्पोजिट–58 (पकड़ीदयाल प्रखण्ड) कम्पोजिट–59 (पकड़ीदयाल प्रखण्ड) कम्पोजिट–84 (मधुबन प्रखण्ड)	1. क. थरबीटिया ख. जितौरा 2. क. चोरमा ख. चैता 3. क. भेलवा ख. दुलमा ग. नौरंगिया माधोपुर	1056.0 1760.0 1540.0	144.0 240.0 210.0	550.0 800.0 750.0	750.0 1000.0 1000.0	788000.00	6000.00
64	कम्पोजिट–73 (रामगढ़वा प्रखण्ड) कम्पोजिट–27 (पहाडपुर प्रखंड)	1. क. बेला मुरला ख. सिंगासनी बैरिया ग. पटनी शिवनगर 2. क. सरैया पूर्वी ख. सरैया पश्चिमी (मिश्राईन टोला) ग. तेजपुरवा	1056.0 1760.0	144.0 240.0	550.0 800.0	750.0 1000.0	508000.00	4000.00

65	कम्पोजिट–67 (रक्सौल प्रखण्ड)	1. क. सिसवा ख. जोकियारी ग. हरनाही	1056.0	144.0	550.0	750.0	788000.00	6000.00
	कम्पोजिट–98 (केसरिया प्रखण्ड)	2 क. रामपुर खजुरिया (खजुरिया) ख. सेमुआपुर	1760.0	240.0	800.0	1000.0		
	कम्पोज़िट–109 (कल्याणपुर प्रखण्ड)	3. क. डुमरा (डुमरा चौक) ख. जसौली	1540.0	210.0	750.0	1000.0		
66	कम्पोजिट–89 (मेहसी प्रखण्ड)	1. क. मधुआहां वृत ख. मेघुआ ग. राजेपुर	1540.0	210.0	750.0	1000.0	758000.00	6000.00
	कम्पोजिट–90 (मेहसी प्रखण्ड)	2. क .महम्मदपुर मझौलिया (सलेमपुर) ख.झिटकहिया	1540.0	210.0	750.0	1000.0		
	कम्पोजिट–92 (मेहसी प्रखण्ड)	3 क. भुरकुरवा ख. नोनीमल	1056.0	144.0	550.0	750.0		
67	कम्पोजिट–07 (मोतिहारी प्रखण्ड)	1. क. ध्रुव लखौरा (लखौरा) ख. नौरंगिया	1760.0	240.0	800.0	1000.0	508000.00	4000.00
	कम्पोजिट–83 (छौड़ादानो प्रखण्ड)	2. क. पकड़िया ख. जुआफर	1056.0	144.0	550.0	750.0		

68	कम्पोजिट–23 (अरेराज प्रखण्ड) कम्पोजिट–26 (अरेराज प्रखण्ड)	1. क. नगदाहाँ (सिरनी) ख. सिकटियाँ ग. चटिया चिन्तामनपुर घ. मिश्रौलिया 2. क. रढ़िया ख. मंगुराहाँ(बलहां चौक) ग. बभनौली	1760.0 1540.0	240.0 210.0	800.0 750.0	1000.0 1000.0	590000.00	4000.00
69	कम्पोजिट–24 (अरेराज प्रखण्ड) कम्पोजिट–25 (अरेराज प्रखण्ड) कम्पोजिट–65 (रक्सौल प्रखण्ड)	1. क. ममरखा (मलाही) ख. ममरखा टोला भैया ग. बड़हरवा 2. क. सरैया ख. पिपरा ग. नवादा 3. क. भेलाही ख. पुरेन्दरा	1760.0 1540.0 1056.0	240.0 210.0 144.0	800.0 750.0 550.0	1000.0 1000.0 750.0	788000.00	6000.00
70	कम्पोजिट–15 (चकिया प्रखण्ड) कम्पोजिट–16 (चकिया प्रखण्ड)	1. क. महुआवा ख. भेरिखिया ग. चकबारा 2. क. कुड़िया ख. मदुरापुर ग. बरमदिया (बनझूला छोडकर)	1540.0 1760.0	210.0 240.0	750.0 800.0	1000.0 1000.0	590000.00	4000.00

71	कम्पोजिट–28 (पहाड़पुर प्रखण्ड)	1 क. सिसवा पूर्वी ख. सिसवा पश्चिमी (भूतहाँ बाजार)	1760.0	240.0	800.0	1000.0	818000.00	6000.00
	कम्पोजिट–34 (हरसिद्धि प्रखण्ड)	2. क. धीवाढार ख. मटियरिया ग. चड़रहियाँ (सेबराहाँ बाजार)	1760.0	240.0	800.0	1000.0		
	कम्पोजिट–74 (रामगढ़वा प्रखण्ड)	3. क. धनहर दिहुली ख. सकरार ग. चम्पापुर घ. आमोदेई ङ. रघुनाथपुर	1056.0	144.0	550.0	750.0		
72	कम्पोजिट–29 (पहाड़पुर प्रखण्ड)	1. क. नोनेया उतरी ख. नोनया दक्षिणी (पण्डितपुर बाजार) ग. बलुआ	1540.0	210.0	750.0	1000.0	560000.00	4000.00
	कम्पोजिट–30 (पहाड़पुर प्रखण्ड)	2. क. मनकररिया (लौकाहां बाजार) ख. इनरवाभार (पकड़िया बाजार मटियरवा चौक)	1540.0	210.0	750.0	1000.0		
73	कम्पोजिट–31 (हरसिद्धि प्रखण्ड)	1. क. मठलोहियार (लोहियार बाजार) ख. उज्जैन लोहियार	1540.0	210.0	750.0	1000.0	560000.00	4000.00
	कम्पोजिट–32 (हरसिद्धि प्रखण्ड)	2. क. मुरारपुर ख. ओलहाँ मेहता टोला ग. भादा, जागापाकड़	1540.0	210.0	750.0	1000.0		

74	कम्पोजिट–36 (संग्रामपुर प्रखण्ड) कम्पोजिट–39 (संग्रामपुर प्रखंड) कम्पोजिट–81 (छौड़ादानो प्रखण्ड)	1. क. भवानीपुर उत्तरी ख. भवानीपुर दक्षिणी 2. क. भटवलिया ख. बरवा 3. क. हिरमनी ख. भथनहिया ग. रामपुर	1760.0 1540.0 1056.0	240.0 210.0 144.0	800.0 750.0 550.0	1000.0 1000.0 750.0	788000.00	6000.00
75	कम्पोजिट–40 (ढाका प्रखंड) कम्पोजिट–41 (ढाका प्रखण्ड)	1. क. गहई ख. करसहिया (करसहिया चौक) 2. क. गवन्द्री (मसौढ़ा) ख. झौवाराम	1540.0 1540.0	210.0 210.0	750.0 750.0	1000.0 1000.0	560000.00	4000.00
76	कम्पोजिट–66 (रक्सौल प्रखण्ड) कम्पोजिट–68 (रक्सौल प्रखण्ड)	1. क. परसौनी तपसी ख. पलनवा जगधर (भरवलिया बाजार) ग. लक्ष्मीपुर लछुमनवा (सौनाहाँ बाजार) घ. लौकरिया (बजरंग चौक) 2. क. धनगढ़वा कौड़ीहार ख. हरदिया (गम्हरिया) ग. नोनेयाडीह	1056.0 1056.0	144.0 144.0	550.0 550.0	750.0 750.0	396000.00	4000.00

77	कम्पोजिट–01 (मोतिहारी प्रखण्ड) कम्पोजिट–82 (छौड़ादानो प्रखण्ड)	1. क. मधुबनीघाट, ख. बरदाहाँ 2. क. जीतपुर ख. कुदरकट ग. खैरवा	1760.0 1056.0	240.0 144.0	800.0 550.0	1000.0 750.0	508000.00	4000.00
78	कम्पोजिट–99 (केसरिया प्रखण्ड) कम्पोजिट–100 (कल्याणपुर प्रखण्ड) कम्पोज़िट–102 (कल्याणपुर प्रखण्ड)	1. क. गवन्द्रा दक्षिणी (पुरन छपरा) ख. बांसघाट 2. क. भुवन छपरा ख. गवन्द्रा उत्तरी 3. क. दिलावरपुर ख. रघुनाथपुर ग. मेदन सिरसिया	1760.0 1540.0 1540.0	240.0 210.0 210.0	800.0 750.0 750.0	1000.0 1000.0 1000.0	870000.00	6000.00
79	कम्पोजिट–106 (कल्याणपुर प्रखण्ड) कम्पोज़िट–110 (कोटवा प्रखण्ड)	1. क. सिसवा खरार (मननपुर) ख. बखरी 2. क. भोपतपुर उत्तरी (भोपतपुर बझिया बाजार) ख. भोपतपुर दक्षिणी ग. जगरहाँ	1540.0 1540.0	210.0 210.0	750.0 750.0	1000.0 1000.0	560000.00	4000.00

80	कम्पोजिट–96 (केसरिया प्रखण्ड) कम्पोजिट–104 (कल्याणपुर प्रखण्ड) कम्पोजिट–54 (घोड़ासहन प्रखंड)	1. क. राजपुर ख. दरमाहा 2. क. पटना (सिसवा पटना) ख. गरीबा 3. क. निमुईया पश्चिमी ख. निमुईया पूर्वी (सेखौना)	1760.0 1540.0 1056.0	240.0 210.0 144.0	800.0 750.0 550.0	1000.0 1000.0 750.0	788000.00	6000.00
कुल योगः–			**316702.0**	**43186.0**	**157540.0**	**298908.0**	**59010000.00**	**596000.00**

24/02/15
अधीक्षक उत्पाद,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

समाहर्ता,
पूर्वी चम्पारण।